प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2023
प्र.इ.रि.स. 38/23 दिनांक 15/2/2023

2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या 270 समय 5:30 PM
(ब) अपराध के घटने का दिन व समयः सोमवार दिनांक 13.02.2023 समय 04.55 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 10.02.2023

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 440 किलो मीटर
(ब) पता : कार्यालय पंचायत समिति प्रतापगढ़।
........................बीट संख्या ....जरायमदेही संख्या.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :

(अ) नाम :	– श्री ईश्वरलाल मीणा
(ब) पिता	– श्री रणजीत सिंह मीणा
(स) जन्म तिथि/वर्ष	–28 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता :	– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या	–...................... जारी होने की तिथि...............................
जारी होने की जगह.........	–..
(र) व्यवसाय	–नौकरी
(छ) पता	–दांतला कुन्ड पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : श्री सुरेश चन्द्र जटिया पिता श्री रमेश चन्द्र जटिया उम्र 42 वर्ष जाति जटिया निवासी वॉटर वर्क्स जटिया गली, वार्ड नम्बर 22 जिला प्रतापगढ़ हाल ब्लॉक रिर्सोस पर्सन (बीआरपी) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी राजथान जयपुर।

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : –50,000/– रूपये

11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :–

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (अगर अपेक्षित हो तो अतिक्ति पन्ना लगावे)–

कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा

दिनांक 10.02.2023 समय 03.26 पीएम

इस समय श्री दिपक कुमार निवासी मोटा मांड़गा तहसील सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़ ने श्री राजेश कुमार कानि. को जरिये दूरभाष सम्पर्क कर अवगत् कराया कि उसके मित्र श्री ईश्वरलाल मीणा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ओड़वाडा पंचायत समिति व जिला प्रतापगढ़ से उसके ग्राम पंचायत में नरेगा योजना व अन्य योजना के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण कर रिकवरी का ऑडिट पैरा नही बनाने के एवज में श्री सुरेश चन्द्र जटिया बीआरपी द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। श्री दिपक कुमार द्वारा परिवादी श्री ईश्वरलाल मीणा

से भी जरिये मोबाईल कॉन्फ्रेन्स से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की वार्ता कराई गई तो परिवादी श्री ईश्वरलाल मीणा द्वारा भी आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया मनोनित, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन(बीआरपी) द्वारा ग्राम पंचायत ओडवाडा का सामाजिक अंकेक्षण कर अंकेक्षण प्रतिवेदन में रिकवरी कर ऑडिट पैरा नही बनाने के एवज में 1,00000 रुपये रिश्वत मांगने बाबत् तथ्य बताये गये। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 11.02.2023 को समय करीब 11.30 एएम पर पंचायत समिति प्रतापगढ़ के आसपास मिलने हेतु मुनासिब हिदायत की गई तथा श्री राजेश कुमार कानि को भी कल दिनांक 11.02.2023 को प्रतापगढ़ पहूंचकर परिवादी श्री ईश्वरलाल से सम्पर्क कर ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया समझातें हुए नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने की मुनासिब हिदायत की गई।

दिनांक 11.02.2023 समय 08.00 एएमपर मालखाने से डिजीटल टेप रिकोर्डर निकलवाकर श्री राजेश कुमार कानि. को सुपूर्द करते हुए रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से जिला प्रतापगढ़ के लिये रवाना किया गया। समय 10.30 पीएम पर श्री राजेश कुमार कानि. ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजीर आया। कानि ने डिजीटल टेप रिकोर्डर मय प्रार्थना पत्र व दस्तावेज मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूर्पूद करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवानाशुदा करीब 12.05 पीएम पर प्रतापगढ़ पहूंचकर परिवादी श्री ईश्वरलाल मीणा पिता रणजीत सिंह मीणा उम्र 28 जाति मीणा निवासी दांतला कुन्ड पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ओडवाडा पंचायत समिति व जिला प्रतापगढ़ से सम्पर्क किया तो परिवादी श्री ईश्वरलाल मीणा पंचायत समिति प्रतापगढ कार्यालय के आसपास उपस्थित आया। परिवादी ने श्री सुरेश चन्द्र जटिया, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन(बीआरपी) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सामाजिका लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत ओडवाडा के मनरेगा योजना इत्यादि समस्त कार्यो एवं रिकोर्ड का भौतिक सत्यापन कर सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर अंकेक्षण प्रतिवेदन में रिकवरी पैरा नही बनाने के एवज में 1,00000 रुपये आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया द्वारा रिश्वत मांगने इत्यादि का प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत करने पर परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया समझाते हुए ब्यूरो की डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को पंचायत समिति प्रतापगढ़ के लिये समय करीब 12.20 पीएम पर रवाना कर मैं पंचायत समिति के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाकर मूकिम रहा। परिवादी थोडी देर में पंचायत समिति से बाहर आया और टेप रिकोर्डर मुझे सुपूर्द कर बताया कि पंचायत समिति में श्री सुरेश चन्द्र जटिया से वार्तालाप हुई परन्तु उनके द्वारा ग्राम पंचायत के रिकोर्ड के अंकेक्षण संबधी वार्तालाप की गई है और रिश्वत राशि स्पष्ट मांग नही कर सायः को पुनः पंचायत समिति प्रतापगढ़ पर मिलने हेतु कहा है। जिस पर परिवादी व मैं प्रतापगढ़ मूकिम रहते हुए समय करीब 05.45 पीएम पर टेप रिकोर्डर परिवादी को सुपूर्द करते हुए पुनः रिश्वत मांग सत्यापन हेतु हिदायत देकर पंचायत समिति प्रतापगढ़ के लिय रवाना किया गया। करीब 06.45 पीएम पर परिवादी पंचायत समिति से बाहर आकर टेप रिकोर्डर मुझे सुपूर्द करते हुए बताया कि श्री सुरेश चन्द्र जटिया द्वारा ग्राम पंचायत ओडवाडा की अंकेक्षण प्रतिवेदन में रिकवरी का ऑडिट पैरा नही बनाने के एवज में 1,00000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई है, जिसे मैने टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया है। परिवादी को दिनांक 13.02.2023 को समय 10.00 एएम पर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आने हेतु मुनासिब हिदायत की गई है। परिवादी श्री ईश्वरलाल मीणा द्वारा निम्नानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैः–

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बांसवाडा।

विषयः–श्री सुरेश चन्द्र जटिया, ब्लॉक रिर्सोस पर्सन(BRP) द्वारा अंकेक्षण के नाम से रिश्वत मांगने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं ईश्वरलाल पिता श्री रणजीत सिंह मीणा निवासी दांतला कुन्ड पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला होकर ग्राम पंचायत ओडवाडा पंचायत समिति व जिला प्रतापगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित हूं। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (एस.एस.ए.ए.टी) शासन सचिवालय जयपुर द्वारा मनरेगा योजना, एसबीएम एवं प्रधानमंत्री आवास के पूर्ण/अपूर्ण व प्रगतिरत समस्त कार्यो एवं रिकोर्ड का भौतिक सत्यापन व अंकेक्षण हेतु ब्लॉक रिर्सोस पर्सन(BRP) का नाम मनोनित होने पर श्रीमान विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी(ईजीएस) पंचायत समिति प्रतापगढ़ के कार्यालय आदेश कमांक 195 दिनांक 31.01.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत श्री सुरेश चन्द्र जटिया ब्लॉक रिर्सोस पर्सन(BRP) को ग्राम पंचायत ओडवाडा के उक्त योजना में हुए समस्त कार्यो एवं रिकोर्ड का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित प्रपत्र में सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर ग्राम सभा में प्रस्तुत करने हेतु लगाया गया है। श्री सुरेश चन्द्र जटिया मेरी ग्राम पंचायत में आकर रिकोर्ड व पूर्ण/अपूर्ण तथा प्रगतिरत कार्यो का निरीक्षण किया गया है। ग्राम पंचायत ओडवाडा के कार्य की गुणवत्ता व रिकोर्ड संधारण संतोषप्रद होने के बाद भी सुरेश चन्द्र जटिया द्वारा अनावश्यक दबाव डालकर रिकोर्ड व कार्यो में कमियां निकाली जा रही है और सुरेश जटिया द्वारा कहा जा रहा है कि अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के एवज में 1,00000 रुपये खर्चेपानी के रुप में रिश्वत राशि मांगी जा रही है और कहता है कि पैसे नही दिये तो ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्यो में रिकवरी निकलवाकर विभागीय नोटिस दिलवाकर निलम्बित करवा दूंगा। श्री सुरेश चन्द्र जटिया द्वारा रिश्वत राशि हेतु बार–बार दबाव

बनाया जा रहा है। मैं उनकों रिश्वत नही देकर रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं तथा अंकेक्षण से संबधित दस्तावेजों की छायाप्रतियां संलग्न है। सही/–

दिनांकः 11.02.2023 (ईश्वर लाल मीणा)

मो0न0–9571448672

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा टेप रिकोर्डर को चलाकर सुना गया तो रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई है। डिजीटल टेप रिकोर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखा गया।

दिनांक 13.02.2023 समय 09.45एएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बांसवाडा को जरिये दूरभाष दो स्वतंत्र गवाह अविलम्ब ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। समय 11.00 एएम पर स्वतंत्र गवाहानश्री पंकज कुमार त्रिवेदीहाल व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निचला घंटाला बांसवाडाव श्री मुर्तजा अली पिता श्री अशफाक खान हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नई आबादी बांसवाडा,जो ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आये, जिन्हें सुरक्षित एक कमरे में बैठाया गया। समय 11.45 एएम पर परिवादी श्री ईश्वरलाल ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजीर आया। परिवादी ने दिनांक 11.02.2023 को श्री राजेश कुमार कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज तथा रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि श्री सुरेश कुमार जटिया द्वारा 1,00,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई है परन्तु अभी 50 हजार रुपये की ही व्यवस्था हुई है, जो उनको 50,000 रुपये रिश्वत राशि दूंगा तो वह ग्रहण कर लेगें और आज ही सायकाल तक पंचायत समिति प्रतापगढ़ पर श्री सुरेश चन्द्र जटिया उपस्थित मिलेगें, जहां पर रिश्वत राशि उनको दी जानी है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया को भलीभांती समझाया जाकर नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आरम्भ की गई। समय 12.05 पीएम परब्यूरो कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज त्रिवेदी व श्री मुर्तजा अली को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर दोनो स्वतंत्र गवाहों अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनो गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रुप में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी श्री ईश्वरलालव दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 11.02.2023 को पेश रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी श्री ईश्वरलाल ने शब्द व शब्द सही होना व रिपोर्ट स्वंय के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.30 पीएम परमन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 13.02.2023 को समय करीब 12.20 पीएम एवं समय करीब 05.45 पीएम पर आरोपी सुरेश कुमार जटियाव परिवादी श्री ईश्वरलाल के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है। डिजिटल टेप रिकोर्डर को मालखाने से निकालकर कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को परिवादी ईश्वरलाल मीणा एवं दोनो स्वतंत्र गवाह को सुनाई गई तो गवाहों द्वारा भी आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि की गई। समय के अभाव को देखते हुए वार्तालाप की फर्द ट्रान्सकिप्ट अकब से मूर्तिब की जायेगी। समय 02.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी से मांगने पर परिवादी श्री ईश्वर लाल मीणा ने उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपने पास से 500–500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये जाकरकार्यालय के मालखाना से फिनॉफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. नं. 06 से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और फिनॉफ्थेलीन पाउडर श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. नं. 06 से लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी स्वंतत्र गवाह श्री पंकज त्रिवेदी से लिवाई गई तथा श्री गणेश प्रसाद हैड कानि से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में अन्य कोई वस्तु नहीं छोडते हुए रखवाये गए। श्री महेश चन्द्र कानि. नं. 394 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। इस रंगहीन घोल में श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. नं. 06 की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. नं. 06 से फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. नं. 06 व श्री महेश चन्द्र के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नही मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोडकर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वत राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर पर हाथ फैर कर आरोपित को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि.नं 06 को सुपुर्द की जाकर मालखाने में रखवाकर हैड कानि को ब्यूरो चौकी बांसवाडा पर रहने की हिदायत दी। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री महेश चन्द्र से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गए। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी

हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। समय 02.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता श्री पंकज, महेशचन्द्र, जितेन्द्रसिंह कानि चालक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक के तथापरिवादी श्री ईश्वरलाल मीणा व श्री राजेश कानि. व श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक परिवादी के प्राईवेट वाहन से ब्यूरो इकाई बांसवाडा से प्रतापगढ़ के लिये रवाना हुए। श्री गणेश प्रसाद हैड कानि को कार्यालय में छोड़ा गया। समय 04.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के अपने–अपने वाहनों में ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा पंचायत समिति प्रतापगढ़ के पास पहूंचकर परिवादी श्री ईश्वरलाल मीणा के मोबाईल नम्बर 9571448672 से आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया के मोबाईल नम्बर 9001836857 पर वार्ता कराई गई तो आरोपी ने परिवादी को पंचायत समिति में आने हेतु कहा गया। उक्त वार्तालाप को परिवादी के मोबाईल को लाउड स्पीकर कर टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया। वार्तालाप की फर्द अकब से मूर्तिक की जायेगी। परिवादी को टेप रिकोर्ड सुपूर्द करते हुए मुनासिब हिदायत के पंचायत समिति प्रतापगढ़ के लिये रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान प्राईवेट वाहन से उतरकर परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर पंचायत समिति के आसपास अपनी–अपनी उपस्थित छुपाते हुए परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मूकिम हुआ। समय 04.55 पीएम पर परिवादी श्री ईश्वरलाल ने पंचायत समिति प्रतापगढ़ के मुख्य द्वार पर आकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण बाबत् निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता के रवाना होकर परिवादी के पास पहूंचकर टेप रिकोर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि पंचायत समिति परिसर में जाकर श्री सुरेश चन्द्र जटिया से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो वह पंचायत समिति के बाहर आये और उनके द्वारा विभिन्न अंकेक्षण प्रपत्रों पर मेरे हस्ताक्षर कराये और पंचायत समिति कार्यालय के पीछे के भाग के खुले चौक में ले जाकर मुझसे रिश्वत राशि मांग करते हुए उन्होनें रिश्वत राशि 50,000 रुपये अपने हाथों से ग्रहण कर पहने हुए कुर्ते के दांहिनी जैब में रखते हुए पंचायत समिति कार्यालय के अन्दर चले गये है। परिवादी को हमराह लेकर पंचायत समिति में प्रवेश किया तो पंचायत समिति में बने एक कमरें में सफेद कुर्ता–पायजामा पहने, लम्बी दाढी रखे हुए खड़े व्यक्ति की ओर परिवादी ने ईशारा करके बताया कि यही श्री सुरेश चन्द्र जटिया ब्लॉक रिर्सोस पर्सन(BRP) है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना स्वंय व हमराहियानों का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उसका पूर्ण नाम पता व पदनाम पुछा तो उसने अपना नाम श्री सुरेश चन्द्र जटिया पिता श्री रमेश चन्द्र जटिया निवासी वॉटर वर्क्स रोड़, जटिया गली, वार्ड नम्बर 22 जिला प्रतापगढ़ हाल मनोनित ब्लॉक रिर्सोस पर्सन(BRP) सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुरहोना बताया। आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया को उक्त कमरे से हमराह लेकर विकास अधिकारी पंचायत समिति प्रतापगढ़ के कार्यालय कक्ष में पहूंचे जहां पर श्री हनुवीर सिंह विकास अधिकारी उपस्थित मिले, जिनकों मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया को परिवादी श्री ईश्वरलालसे अभी–अभी 50,000 रुपये रिश्वत राशि किस बात की ग्रहण की गई है के बारे में पुछा गया तो आरोपी ने बताया कि मैने इनसें कोई पैसे नही मांगे इन्होने जबरदस्ती मुझे दिये है।जिस पर मौके पर उपस्थित ईश्वरलाल ने बताया कि श्री सुरेश चन्द्र जटिया झूठ बोल रहे है। मैने इनकों कोई जबरदस्ती पैसे नही दिये है। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी शासन सचिवालय जयपुर के माध्यम से श्री सुरेश चन्द्र जटिया को मनरेगा, एसबीएम एवं प्रधानमंत्री आवास के पूर्ण/अपूर्ण व प्रगतिरत समस्त कार्यो एवं रिकोर्ड का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित अंकेक्षण प्रपत्र में सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाना था। विकास अधिकारी पंचायत समिति प्रतापगढ के कार्यालय आदेश क्रमांक 195 दिनांक 31.01.2023 के द्वारा मेरी ग्राम पंचायत ओडवाडा का अंकेक्षण हेतु श्री सुरेश चन्द्र जटिया को ब्लॉक रिर्सोस पर्सन (BRP) मनोनित किया है। श्री सुरेश चन्द्र जटिया द्वारा वित्तिय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में हुए कार्यो का सत्यापन व रिकोर्ड का भौतिक सत्यापन कर अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार की जानी थी। जिस हेतु श्री सुरेश चन्द्र जटिया द्वारा ग्राम पंचायत ओडवाडा में हुए कार्यो व रिकोर्ड का भौतिक सत्यापन किया गया था। ग्राम पंचायत ओडवाडा में कराये गये समस्त निर्माण कार्य एवं रिकोर्ड संधारण संतोषप्रद होने के बावजूद भी अंकेक्षण रिपोर्ट में आक्षेप नही लगाने का दबाव बनाते हुए 1,00000 रुपये रिश्वत राशि की मांगकर कहा कि अगर खर्चेपानी के पैसे नही दिये तो अंकेक्षण रिपोर्ट में रिकवरी निकालकर विभागीय नोटीस दिलवाकर निलम्बित कराने का कहते हुए रिश्वत राशि की मांग की गई तथा दिनांक 11.02.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान भी 1,00000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई थी और आज उनकी मांग अनुसार 50,000 रुपये रिश्वत राशि के मुझसे ग्रहण कर अपने पहने हुए कुर्ते के दांहिनी जैब में रखे है। जिस पर श्री सुरेश चन्द्र जटिया कुछ नही बोलकर मौन हो गया। कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया के दांहिने हाथ में एक सफेद कपड़े की थैली पकड़ी हुई थी जिसमें कुछ कागजात् है उसके बारे में आरोपी से पुछा गया तो बताया कि यह अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करने बाबत् प्रपत्र है, जिनमें ग्राम पंचायत ओडवाडा से संबधित प्रपत्र है। उक्त कपडे की थैली को गवाह श्री मुर्तजा अली को संभलवायी गई।स्वतंत्र गवाह श्री पंकज त्रिवेदी से आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया के पहने हुए कुर्ते की दांहिनी जैब की तलाशी लिवाई गई तो जैब में सिमटे हुए 500–500 रुपये के नोट बरामद हुए। उक्त नोटो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहनों से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोट हुबहू फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के पाये गये। उक्त 500–500 रुपये के 100 नोट कुल 50000 रुपये बरामद हुए। प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बॉक्स को श्री राजेश कुमार कानि. से मंगवाया जाकर प्रक्रिया अनुसार ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कांच के गिलासों में कार्यालय से पीने वाले साफ पानी को

भरवाया जाकर उन दोनों कांच के गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा तथा दोनो गवाह ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित बताया। एक रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटियाके बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग भी मटमैला हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि 50,000 रुपयो पर एक कागज की चीट लगाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर सीलचीट कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री सुरेशचन्द्र जटिया द्वारा रिश्वत राशि 50,000 रूपये परिवादी से अपने हाथों से ग्रहण कर पहने हुए कुर्ते की दांहिनी जैब में रखे जो मौके पर बरामद की गई हैं। आरोपी क कुर्ते की दांहिनी जैब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने पर आरोपी के पहनने हेतु दुसरा शर्ट मंगवाया जाकर पहने हुए कुर्ते को ससम्मान उतरवाकर दुसरा शर्ट पहनाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से एक कांच का एक साफ गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया का कुर्ता (जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई) की दांहिनी जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क के–1 व के–2 अंकित करा सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त कुर्ते की दांहिनी जैब को सुखवाकर जैब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा कुर्ता बरंग सफेद को एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया के हाथ में मिली कपडे की थैली में रखे हुए कागजात् को चैक किया गया तो उसमें सामाजिक लेखा परीक्षा एवं अंकेक्षण बाबत् ग्राम पंचायत ओडवाडा से संबधित प्रपत्र है, जो पूर्ण भरे नही होकर चार प्रपत्रों पर ग्राम विकास अधिकारी श्री ईश्वरलाल के हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त समस्त प्रपत्रों पर स्वतंत्र गवाह, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील कार्यवाही किये गये। कार्यवाही के दौरान श्री हनुवीर सिंह विकास अधिकारी से आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया के ब्लॉक रिर्सोस पर्सन (BRP) के पद पर ग्राम पंचायत ओडवाडा में अंकेक्षण हेतु मनोनित करने बाबत् आदेश इत्यादि दस्तावेज चाहे गये तो विकास अधिकारी ने राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी(एसएसएएटी) शासन सचिवालय जयपुर के आदेश कमांक 10395 दिनांक 30.11.2022, कार्यालय जिला कार्यकम समन्वयक(ईजीएस) एवं जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 82 दिनांक 01.12.2022 के संलग्न प्रशिक्षित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की सूची(बीआरपी) एवं विकास अधिकारी प्रतापगढ के कार्यालय आदेश कमांक 195 दिनांक 31.01.2023 के द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जटिया को ग्राम पंचायत ओडवाडा के मनरेगा, एसबीएम एवं प्रधानमंत्री आवास के पूर्ण/अपूर्ण व प्रगतिरत समस्त कार्यो एवं रिकोर्ड का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित प्रपत्र में सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर ग्राम सभा में प्रस्तुत करने बाबत् मनोनित आदेश की प्रति इत्यादि प्रस्तुत कर बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत किये गये कार्य, प्रधानमंत्री आवास, मिड–डे मील के तहत किये गये कार्यो की गुणवत्ता व राजकीय व्यय, कार्यो का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन हेतु सामाजिक अंकेक्षण विभाग(नरेगा) राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण हेतु बीआरपी एवं वीआरपी का मनोनयन कर अंकेक्षण कराया जाता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तिय वर्ष का मासिक कलेण्डर जारी कर पंचायत का चयन कर मनोनित बीआरपी व वीआरपी की उपस्थिति में राजकीय अभिलेखों एवं व्यय का निरीक्षण व भौतिक सत्यापन आम सभा की उपस्थिति में किया जाता है, जिसकी पालना रिपोर्ट सामाजिक अंकेक्षण विभाग जयपुर को प्रेषित की जाती है। सामाजिक अंकेक्षण विभाग नरेगा राजस्थान सरकार द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जटिया को वर्ष 2022–23 में बीआरपी पद के लिये मनोनित किया गया, जिस पर पंचायत समिति द्वारा पृथक–पृथक आदेश कलेण्डर जारी कर ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण हेतु मनोनित किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति प्रतापगढ़ के आदेश कमांक 195 दिनांक 31.01.2023 द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जटिया को ग्राम पंचायत ओड़वाडा का बीआरपी 500 रुपये प्रतिग्राम सभा पर मनोनित किया। बीआरपी पद हेतु एक ग्राम सभा के लिये पांच सौ रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पारिश्रमिक देय है, जिनकों अंकेक्षण के बाद भुगतान किया जाना था। श्री सुरेश चन्द्र जटिया द्वारा ग्राम पंचायत गन्धेर व केरवास में सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा में भाग लिया मानदेय हेतुउपस्थिति पंचायत समिति में पेश की है तथा आदेश अनुरुप ग्राम पंचायात ओडवाडा में भी अंकेक्षण कर ग्राम सभा में भाग लिया जाना था। विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिकोर्ड को उनसे ही प्रमाणित करवाया जाकर शामील कार्यवाही किया गया। समय 07.15 पीएम पर परिवादी श्री ईश्वरलाल मीणा की निशांदेही पर घटना स्थल का निरीक्षक किया जाकर फर्द नक्शा मौका मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 07.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री पंकज त्रिवेदी व श्री मुर्तजा अली मय आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया व ब्यूरो जाप्ता श्री पंकज कानि., श्री महेश चन्द्र कानि., श्री जितेन्द्र सिंह कानि चालक मय जप्त शुदा रिश्वत राशि 50,000 रुपये, आरोपी के दोनो हाथो का धोवन मार्क कमशः आरएच–1 व 2, एलएच–1 व 2 बरामद रिश्वत राशि कुर्ते की जैब का धोवन मार्क के–1 व 2, जप्त शुदा कुर्ते का पैकेट इत्यादि व ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधन के जरिये प्राईवेट मय चालक तथा परिवादी श्री ईश्वरलाल मीणा, श्री राजेश कुमार

कानि. व श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक परिवादी के निजी वाहन से प्रतापगढ़ से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 08.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों, आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया व जप्त शुदा रिश्वत राशि व जप्त शुदा सामग्री के अपने–अपने वाहनों से प्रतापगढ़ से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 08.50 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 11.02.2023 को समय करीब 12.20 पीएम व समय करीब 05.45 पीएम पर आरोपी श्री सुरेश चन्द्र व परिवादी श्री ईश्वरलाल मीणा के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजीटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी को सुनाई गई व इनके रूबरू इस वार्ता की श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक से शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसकिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को उसके कवर मे रखकर पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी के कवर में सुरक्षित रखा गया। समय 11.40 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान आज दिनांक 13.02.2023 को समय 04.31 पीएम पर परिवादी श्री ईश्वरलाल मीणा के मोबाईल नम्बर 9571448672 से आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया के मोबाईल नम्बर 9001836857 मोबाईल हुई वार्ता एवं आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया व परिवादी श्री ईश्वरलाल मीणा के बीच हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजीटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी को सुनाई गई व इनके रूबरू इस वार्ता की श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक से शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसकिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को उसके कवर मे रखकर पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी के कवर में सुरक्षित रखा गया।प्रकरण में ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया का नियमानुसार आवाज का नमूना माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

दिनांक 14.02.2023 समय 00.45 एएम पर आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया हाल ब्लॉक रिर्सोस पर्सन(बीआरपी) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर राजस्थान को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01.00 एएम परआरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु मेडिकल ज्युरिष्ट राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा के नाम तहरिर जारी कर श्री महेशचन्द्र कानि. मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिह को मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना किया गया। समय 01.15 एएम परश्री महेशचन्द्र कानि. एवंआरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये। श्री महेशचन्द्र कानि द्वारा आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसे शामील कार्यवाही किया गया। समय 01.30 एएम परट्रेप कार्यवाही के दौरान प्रकरण जप्त शुदा जप्त शुदा रिश्वत राशि 50,000 रुपये, आरोपी के दोनो हाथो का धोवन मार्क क्रमशः आरएच–1 व 2, एलएच–1 व 2 बरामद रिश्वत राशि कुर्ते की जैब का धोवन मार्क के–1 व 2, जप्त शुदा कुर्ते का पैकेट व प्रकरण में रिकोर्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं जरिये मोबाईल वार्ता व लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव के सीलचीट शुदा पैकेट, डब सीडीयां इत्यादि श्री राजेश कुमार कानिको सुपूर्द कर मालखान रजिस्टर में इन्द्राज कराया जाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। समय 01.55 एएम पर आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया से पूछताछ की गई तो ट्रेप कार्यवाही के दौरान बताये गये तथ्यों के अलावा अन्य कोई नये तथ्य नही बताये गये।आरोपीको सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली में जमा कराने हेतु तहरिर जारी कर श्री महेशचन्द्र कानि. मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह को मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 02.25 एएम परश्री महेशचन्द्र कानि., श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक मय सरकारी बोलेरो के ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आये। श्री महेशचन्द्र कानि0, ने आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया को पुलिस थाना कोतवाली में जमा कराने की रसीद मय रोजनामचा आम रपट पेश की जिसे शामील पत्रावली किया गया।प्रकरण में आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसकिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रान्सकिप्ट जरिये मोबाईल एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी(एसएसएएटी) शासन सचिवालय जयपुर के आदेश कमांक 10395 दिनांक 30.11.2022, कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक(ईजीएस) एवं जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 82 दिनांक 01.12.2022 के संलग्न प्रशिक्षित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की सूची(बीआरपी) एवं विकास अधिकारी प्रतापगढ के कार्यालय आदेश कमांक 195 दिनांक 31.01.2023 के द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जटिया को ग्राम

पंचायत ओडवाडा के मनरेगा, एसबीएम एवं प्रधानमंत्री आवास के पूर्ण/अपूर्णव प्रगतिरत समस्त कार्यो एवं रिकोर्ड का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित प्रपत्र में सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर उक्त योजना के तहत किये गये कार्यो की गुणवत्ता व राजकीय व्यय, कार्यो का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन हेतु सामाजिक अंकेक्षण विभाग(नरेगा) राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण हेतु बीआरपी एवं वीआरपी का मनोनयन कर अंकेक्षण कराया जाता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तिय वर्ष का मासिक कलेण्डर जारी कर पंचायत का चयन कर मनोनित बीआरपी व वीआरपी की उपस्थिति में राजकीय अभिलेखों एवं व्यय का निरीक्षण व भौतिक सत्यापन आम सभा की उपस्थिति में किया जाता है, जिसकी पालना रिपोर्ट सामाजिक अंकेक्षण विभाग जयपुर को प्रेषित की जाती है। सामाजिक अंकेक्षण विभाग नरेगा राजस्थान सरकार द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जटिया को वर्ष 2022–23 में बीआरपी पद के लिये मनोनित किया गया, जिस पर पंचायत समिति द्वारा पृथक–पृथक आदेश कलेण्डर जारी कर ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण हेतु मनोनित किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक 195 दिनांक 31.01.2023 द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जटिया को ग्राम पंचायत ओड़वाडा का बीआरपी 500 रुपये प्रतिग्राम सभा पर मनोनित किया। बीआरपी पद हेतु एक ग्राम सभा के लिये पांच सौ रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पारिश्रमिक देय है, जिनकों अंकेक्षण के बाद भुगतान किया जाना था। श्री सुरेश चन्द्र जटिया द्वारा ग्राम पंचायत गन्धेर व केरवास में सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा में भाग लिया और मानदेय हेतुउपस्थिति पंचायत समिति में पेश की है तथा आदेश अनुरुप ग्राम पंचायात ओडवाडा में भी अंकेक्षण कर ग्राम सभा में भाग लिया जाना था। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी राजथान जयपुर द्वारा आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया हाल ब्लॉक रिर्सोस पर्सन (बीआरपी) के पद पर मनोनित किया गया था तथा उन्हें नियमानुसार सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्रति ग्राम सभा एक दिवस हेतु 500 रुपये वैद्य पारिश्रमिक मानदेय का भुगतान पंचायती राज विभाग के राजकोष से किया जाना था। दिनांक 11.02.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया द्वारा परिवादी से 1,00,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा इनकी मांग अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी सुरेश चन्द्र जटिया को परिवादी से 50,000 रुपये लेते हुये दिनांक 14.02.2023 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। श्री सुरेश चन्द्र जटिया द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिश्वत राशि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपीश्री सुरेश चन्द्र जटिया पिता श्री रमेश चन्द्र जटिया उम्र 42 वर्ष जाति जटिया निवासी वॉटर वर्क्स जटिया गली, वार्ड नम्बर 22 जिला प्रतापगढ़ हाल ब्लॉक रिर्सोस पर्सन (बीआरपी) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी राजथान जयपुरके विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

भवदीय,

(माधोसिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेश चन्द्र जटिया, हाल ब्लॉक रिर्सोस पर्सन (बीआरपी), ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 38/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15/2/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः– 297–300 दिनांक 15.02.2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीरात विभाग कमरा नम्बर 8320, एसएसओ बिल्डींग शासन सचिवालय जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

15/2/23

उप महानिरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।